



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)  
**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**  
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

F.No. 2-2(39)/2022-23-A&A/1073


दिनांक: 15.02.2023

अधिसूचना संख्या 58/AA-2022-23

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि अकादमिक परिषद् और कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 27.12.2022 और 06.01.2023 को हुई बैठक में क्रमशः संकल्प संख्या 18 और 24 के अनुरूप छात्र परिषद् विनियम- 2022 (संलग्न) को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन विनियमों में लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं के साथ-साथ केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुरूप छात्र परिषद् और निर्वाचन समिति की संरचना एवं प्रकार्य सम्मिलित हैं।

अतः विश्वविद्यालय के सभी छात्रों और हितधारकों को इन छात्र परिषद् के विनियम, 2022 का पालन करना होगा।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

  
कुलसचिव (प्रभारी)

प्रति: (ई-मेल द्वारा)

1. सभी शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
2. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
3. परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)
4. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता निर्धारक प्रकोष्ठ
5. छात्र कल्याण अधिष्ठाता
6. प्रॉक्टर
7. प्रोवोस्ट
8. उप कुलसचिव (अकादमिक एवं प्रशासनिक)
9. सहायक कुलसचिव (अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्त)
10. आईसीटी विभाग- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय (छात्रों एवं छात्र परिषद में प्रसार हेतु)
12. कुलपति सचिवालय
13. अधिसूचना फाइल
14. गार्ड फाइल

